गाँधी आई हॉस्पीटल ट्रस्ट,अलीगढ़

"नेत्र ज्योति योजना"

पृष्ठभूमि:-

जैसा कि आपको विदित है कि गाँधी आई हॉस्पीटल ट्रस्ट, अलीगढ़, देश की विख्यात धर्माथ नेत्र चिकित्सा संस्था है जो कि विगत ६ दशक से देश के कोने कोने से आने वाले नेत्र रोगियों की शल्य चिकित्सा एवं उपचार अत्याधिक आधुनिक तकनीक से सम्पन्न कर रही है।

हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाली देश की 70 प्रतिशत आबादी में लाखों की संख्या में ऐसे गरीब असहाय नेत्र रोगी हैं जो वित्तीय संसाधनों के अभाव में अपने मोतियाबिन्द के आपरेशन को कराने में भी सक्षम नहीं है और इसके अभाव में उनके नेत्रों की ज्योति तो चली ही जाती है बल्कि मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा न करा पाने के कारण अन्य दूसरे नेत्र विकार भी उत्पन्न हो जाते है इस प्रकार से देश में अन्धता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ता है बल्कि ऐसे असहाय रोगी नेत्र ज्योति के अभाव में अपने परिवार पर एक भार बन जाते है।

देश के जागरुक नागरिक के साथ, क्या हम साधन सम्पन्न लोगों का यह दायित्व नहीं बनता है कि हम ऐसे गरीब असहाय नेत्र रोगियों की मदद के लिये आगे आकर अपने संसाधनों से कुछ रोगियों की वित्तीय मदद से इन्हें भी समाज एवं प्रकृति के सौन्दर्य का आन्नद उठानें दें।

जिन्दगी तब बेहतर होती है जब आप खुश और सम्पन्न होते है लेकिन जिन्दगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश और सम्पन्न होते है हमें लोगों की खुशी का हिस्सा नहीं बल्कि खुशी का कारण बनना चाहिये।

हमारे परिवार में प्रत्येक वर्ष जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, सहित अनेका अनेक सुखद समारोह होते रहते है और हम सभी इस पर भारी भरकम धनराशि भी व्यय करते है। क्या ? यह संभव नहीं है कि हम पीढ़ित मानवता की सेवा हेतु ऐसे पीढ़ित नेत्र रोगियों को अल्प वित्तिय सहयोग से उन्हें "नेत्र ज्योति योजना" के अर्न्तगत नेत्र ज्योति प्रदान कर पुण्य लाभ कमाऐं।

मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हेतु सभी धर्मों, पुराणों में मानव सेवा को ही सबसे बडा धर्म माना गया है। आइऐ हम सब 'पुण्य लाभ' एवं 'मोक्ष' प्राप्ति के इस महायज्ञ में अपने सहयोग की आहूति 'नेत्र मित्र' के रुप में प्रदान करें।

उद्देश्य:- बिना किसी रंग, जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के ऐसे समस्त भारत वर्ष के नागरिक जो मोतियाबिन्द के चलते देखने व अपना कार्य करने में असमर्थ है और वह आर्थिक अभाव के कारण अपने नेत्रों का मोतियाबिन्द का आपरेशन नहीं करा सकते है या कराने में सक्षम नहीं है को "नेत्र ज्योति योजना" के अर्न्तगत 'नेत्र मित्र' के वित्तिय सहयोग से उनकी शल्य चिकित्सा सम्पन्न कराते हुये उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर उनके दैनिक जीवन के अनिवार्य कार्यों को सुगम सरल बनाना एवं देश में मोतियाबिन्द के कारण बढ़ रहे अन्धता के प्रतिशत को कम करना।

"नेत्र मित्र परिवार"

उपरोक्त 'नेत्र ज्योति योजना' के सफल कियान्वन हेतु एक "नेत्र मित्र परिवार" का गठन किया गया है। इसमें अपने वित्तिय सहयोग से शल्य चिकित्सा सम्पन्न (मोतियाबिन्द) कराने वाले सदस्य 'नेत्र मित्र' के नाम से जाने जाएगें व वह गाँधी आई हॉस्पीटल ट्रस्ट, अलीगढ़ में पंजीकरण करायेंगें। जिनका विवरण लेखा जोखा चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा सुरक्षित रखा जावेगा व प्रत्येक वर्ष ऐसे 'नेत्र मित्रों' का विवरण चिकित्सालय बैवसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।

सदस्यता हेतु आवेदन-

कोई भी भारत वर्ष का नागरिक जो "नेत्र मित्र परिवार" का स्वेच्छा से सदस्य बनना चाहता है उसे पत्र के साथ संलग्न सदस्यता आवेदन पत्र भरकर चिकित्सालय में जमा कराना होगा। जिसका रिकार्ड प्रथक से चिकित्सालय कार्यालय द्वारा रखा जावेगा।

नियम:-

1. ऐसे समस्त नागरिक जो पीढ़ित मानवता की सेवा हेतु "नेत्र मित्र" के रुप में 'नेत्र ज्योति योजना' की सदस्यता प्राप्त करने का इच्छुक है उन्हें पत्र के साथ संलग्न आवेदन पत्र कभी भी सुविधानुसार जमा कराना होगा यह सदस्यता स्वेच्छा पर आधारित है और इसकी कोई अन्तिम तिथि नहीं है।

2. 'नेत्र ज्योति योजना' की सदस्यता हेतु यदि कोई भी दानदाता न्यूनतम रु० 10,000/- (रुपये दस हजार) अधिकतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है की दान धनराशि गाँधी आई हॉस्पीटल ट्रस्ट, अलीगढ़ के कोष में नकद/ चैक/ ड्राफ्ट/ निफ्ट/आर०टी०जी०एस० अथवा किसी भी अन्य मान्य इलैक्ट्रोनिक साधन से जमा कराता है तो उसे "नेत्र मित्र परिवार" की सदस्यता 'नेत्र ज्योति योजना' के अर्न्तगत 'नेत्र मित्र' के रुप मे। प्रदान की जावेगी।

3. यह कि ऐसे 'नेत्र मित्र' प्रति मोतियाबिन्द रोगी जिन्हें कि वे संस्तुत करेंगें रु० 2500/- प्रति रोगी मोतियाबिन्द आपरेशन विद आई०ओ०एल० के साथ रोगी की शल्य चिकित्सा चिकित्सालय के कुशल चिकित्सकों द्वारा सम्पन्न की जायेगी व इस प्रकार से उनके द्वारा प्रदत्त दान राशि रु० 10,000/- के वित्तीय योगदान से चार नेत्र रोगी लाभान्वित हो सकेगें जिसका पुण्य लाभ 'नेत्र मित्र' को प्राप्त होगा।

4. प्रत्येक 'नेत्र मित्र' को चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उनकी संस्तुति एवं रोगी चयन हेतु ५ रोगी फार्म उपलब्ध कराये जायेंगें। ऐसे सभी 'नेत्र मित्र' उक्त फार्म पर किन्ही चार रोगियों के नाम अपने हस्ताक्षर एवं 'नेत्र मित्र' पंजीकरण नम्बर दर्जकर पात्र किसी भी गरीब, असहाय नेत्र रोगी को प्रदान कर मुख्य चिकित्साधिकारी गाँधी आई हॉस्पीटल के पास भेज देगें। जिनकी मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सालय द्वारा की जायेगी।

5. कोई भी 'नेत्र मित्र' या इच्छुक सदस्य प्रति रोगी रु० 2500/-(मोतिया-बिन्द आपरेशन) की दर से जितने भी आपरेशन स्वेच्छा से कराना चाहें 'नेत्र मित्र' सदस्यता के साथ अपनी धनराशि 10-20 या इससे अधिक रोगी हेतु चिकित्सालय में अग्रिम जमा करा सकता है।

6. रोगियों के चयन की सुविधा हेतु ऐसे दानदाता अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों कारखानों, संस्थानों घर पड़ौस में कार्यकरने वाले घरेलू नौकरों, असहाय गरीब रोगियों की मोतियाबिन्द आपरेशन निःशुल्क कराये जाने की संस्तुति कर सकते है बशर्ते उन के स्तर से प्रति रोगी रु० 2500/-की दर से दान राशि अग्रिम चिकित्साल्य कोष में जमा करा दी गयी हो।

7. 'नेत्र मित्र' इस "नेत्र ज्योति योजना" के अर्न्तगत संस्तुति के साथ प्रेषित मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु पात्र रोगी के शल्य चिकित्सा एवं उपचार हेतु जनरल वार्ड में भर्ती बिस्तर (३ से ५ दिन जैसा केस हो) आपरेशन फीस, आपरेशन दवा मोतियाबिन्द आपरेशन में डाले जाने वाला आई०ओ०एल० लैन्स पैथोलॉजी की ही सुविधा प्रदान की जायेगी। यह सुविधा मोतियाबिन्द के अतिरिक्त अन्य किसी नेत्र रोग हेतु मान्य नहीं होगी।

8. इस "नेत्र ज्योति योजना" के अर्न्तगत भुगतान बजरिये चैक, बैंक ड्राफ्ट व अन्य भुगतानों के माध्यम जैसे:- निफ्ट व आर०टी०जी०एस० के द्वारा गाँधी आई हॉस्पीटल ट्रस्ट, अलीगढ़ खाता संख्या: 503102010001016, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया गाँधी आई हॉस्पीटल शाखा, आई०एफ०एस०सी० कोड- UBIN0550311, के पक्ष में देय होगें। जिसकी रसीद भुगतान प्राप्त होने के साथ आवेदक को उसके पंजीकरण नं० के साथ प्रेषित की जावेगी।

विशेष:-

"नेत्र ज्योति योजना" के अर्न्तगत स्वेच्छा से दान स्वरुप आर्थिक सहयोग करने वाले प्रत्येक दानदाता को उसके द्वारा प्रदत्त दान पर आयकर के अधिनियम की धारा-80 जी के अर्न्तगत 50% आयकर में छूट अनुमन्य है।

नोट:- किसी भी जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

मधुप लहरी
चिकित्सालय अधीक्षक
मो० 9219881312

पी०के० माथुर
लेखा अधिकारी
मो० 9358256467

एक कदम पीढ़ित मानवता की ओर